रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261845
CG-DL-E-22032025-261845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1316] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946
No. 1316] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2025

का.आ. 1334(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पामेड वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2273(अ), तारीख 19 जुलाई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2273(अ), तारीख 19 जुलाई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र,

असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2273(अ), तारीख 19 जुलाई, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के लिए, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. निगरानी समिति.**– केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समिति का गठन करेगी जिसे निगरानी समिति कहा जाएगा, जिसमें नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्तियों शामिल होंगे, अर्थात:—

(i)	संभागीय आयुक्त, जगदलपुर	अध्यक्ष, *पदेन*;
(ii)	कलेक्टर, बीजापुर	सदस्य, *पदेन*;
(iii)	उप निदेशक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर	सदस्य, *पदेन*;
(iv)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य, *पदेन*;
(v)	अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर	सदस्य, *पदेन*;
(vi)	अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जगदलपुर	सदस्य, *पदेन*;
(vii)	किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या वन्यजीव का एक विशेषज्ञ, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय-समय पर हर तीन वर्ष में नामित किया जाएगा	सदस्य;
(viii)	सदस्य-सचिव या सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(ix)	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय-समय पर हर तीन वर्ष में नामित किया जाएगा	सदस्य;
(x)	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(xi)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(xii)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और परियोजना निदेशक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	सदस्य सचिव, *पदेन*।

6. निगरानी समिति के कार्य:- (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-III** में निर्दिष्ट प्रा रूप में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/152/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में विस्तृत का.आ. 2273 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2025

S.O. 1334.(E)— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Pamed Wildlife Sanctuary, Chhattisgarh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2273(E), dated the 19th July, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2273(E), dated the 19th July, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2273(E), dated the 19th July, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee.** - There shall be a Committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely:—

(i)	Divisional Commissioner, Jagdalpur	- Chairman, *ex-officio;*
(ii)	Collector, Bijapur	- Member, *ex-officio;*
(iii)	Deputy Director, Indravati National Park, Bijapur	- Member, *ex-officio;*
(iv)	Chief Executive Officer, District Panchayat	- Member, *ex-officio;*
(v)	Superintendent Engineer Public Works Department, Jagdalpur	- Member, *ex-officio;*
(vi)	Superintendent Engineer Public Health Engineering, Jagdalpur	- Member, *ex-officio;*
(vii)	one expert in ecology or wildlife from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Chhattisgarh from time to time every three years	- Member;

(viii)	Member-Secretary or Member, State Biodiversity Board	- Member, *ex-officio;*
(ix)	one representative of a Non-governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chhattisgarh from time to time every three years	- Member;
(x)	Representative of the Town and Country Planning Department	- Member, *ex-officio;*
(xi)	Representative of State Pollution Control Board	- Member, *ex-officio;*
(xii)	Chief Conservator of Forest (Wildlife) and Project Director, Indrawati National Park, Jagdalpur	- Member Secretary, *ex- officio.*

6. **Functions of Monitoring Committee.**– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in Sub-Paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/152/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2273(E), dated the 19th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.22 11:06:26 +05'30'